फाइल नं0-71-1099(099)/1/2021

65/2022/।/161215/2022

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 29 अप्रैल, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में उपकरणों के क्रय हेतु मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के पत्र संख्या-एस0पी0एस0/2021-22/714-15, दिनॉक 11.03.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजए आगरा में स्थापित पी0एस0ए0 प्लाण्ट हेतु डी0जी0 सेट 250 के0वी0ए0 04 नग के क्रय की अनुमति एवं उपकरण के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तेर्गत मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 480.00 लाख के सापेक्ष 98,96,400.00 (रू0 अट्ठानबे लाख छियानबे हजार चार सौ मात्र) की निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- विद्यमान वित्तीय नियमों व प्राविधानों का पालन करते हुए तथा नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही उपकरणों का क्रय किया जाये।

2- उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्वा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेशसिफिकेशन, क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तारदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।

3- उपकरणों की गुणवत्ता, मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों एवं यू0पी0 प्रोक्योरमेन्ट एण्ड गुड्स मैनुअल, 2016 में में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगाए जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

9- कोविड-19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

10- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।

11- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97 (ल0उ0)/2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा.निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2018/868/18-2-2017-2 (एस0पी0)/2017, दिनॉक 15.01.2018 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष रू0 1.00 लाख तक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा रू0 50.00 लाख क्रयाधिकार संबंधी निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत ही क्रय प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही क्रयादेश निर्गत किये जायेंगे।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनॉक 29.03.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- पारदर्शी प्रक्रिया से गुणवत्तायुक्त सामग्री का क्रय तथा तदनंतर आडिट का उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का होगा।

15- सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की होगी।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 98,96,400 (रुपये अट्ठानबे लाख छियानबे हजार चार सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031053800 मेडिकल कालेज आगरा मानक मद-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनॉक 29.03.2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव

संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू.

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेजए आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।